संख्या-7/2024/वे0आ0-1-625/दस-2024-36(एम)/08

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ: दनिांक: 05 नवम्बर, 2026

विषय- राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित: निम्नलिखित -

(1) शासनादेश संख्या-08/2023/वे0आ0-1-1006/दस-2023-36(एम)/08, दिनांक 06 नवम्बर, 2023

(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/ 2007/ई-।।।(ए) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

महोदय,

उत्पादकता से जुडी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2023 द्वारा समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2022-2023 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3. उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर,2023 के क्रम में श्री राज्यपाल इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के ऐसे कर्मचारियों जिनके द्वारा धारित पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100) (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) तक है, को वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :--

(1) तदर्थ बोनस पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100) तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/-) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाय भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।

(2) तदर्थ बोनस के भुगतान की गणना के लिये मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000/- होगी। तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2024 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।

(3) दिनांक 31 मार्च, 2024 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रू0 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/- की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2024 को 30 दिन की परिलब्धियाँ (रू0 7000X30/30.4=6907.89) अर्थात 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी।

(4) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2024 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(5) ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2025-26 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, को वर्ष 2025-26 का तदर्थ बोनस देय न होगा किन्तु ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध वर्ष 2025-26 अथवा उसके पूर्व के वर्षों से अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लम्बित हों, तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो परिणाम प्राप्त होने पर कर्मचारी के दोषमुक्त होने की दशा में भुगतान कर दिया जायेगा और जिन-जिन वर्षों का तदर्थ बोनस उक्त कारण से स्थगित रहा है उन सभी वर्षों के बोनस का भुगतान कर दिया जायेगा। तथापि विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा न्यायालय में लम्बित अपराधिक मुकदमें में प्राप्त परिणाम के आधार पर बोनस की देयता के बारे में अर्थात भुगतान करने अथवा न करने के बारे में एक बार जो निर्णय ले लिया जायेगा उस पर उक्त कार्यवाहियों में की जाने वाली अपील अथवा पुनर्विचार के निर्णय के परिणाम के आधार पर बोनस की देयता पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(6) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 06 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 2024 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन (05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन या इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2024 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) 03 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन (05 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

इससे अधिक वर्ष में हर वर्ष 206 दिन) कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये तदर्थ बोनस के आगणन हेतु मासिक परिलब्धियाँ अधिकतम रू0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200X30/30.4=1184.21 अर्थात 1184/- पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रू0 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उसके पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2024 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6. बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेगें।

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2024/वे0आ0-1-625(1)/दस-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001.
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर विकास अनुभाग-1/3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-1/3,आवास अनुभाग-2 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
(9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 तथा 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(13) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0 (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद्, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।

(14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(15) प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(16) महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।